भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3508

उत्तर देने की तारीख: 15.07.2019

ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रभाव

3508. श्री सु. थिरुनवुक्करासरः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सभी वर्गों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु रोजगार और दाखिलों में 10 प्रतिशत कोटा प्रदान करने हेतु जनवरी 2019 के दौरान एक संवैधनिक संशोधन पास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को स्नातकोत्तर व्यावसायिक कोर्सों में दाखिले हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 10 प्रतिशत कोटा के कार्यान्वयन के कारण प्रभावित विद्यार्थियों या विद्यार्थी समुदाय के अभिभावकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विभिन्न महाविद्यालयों और विभिन्न कोर्सों में दाखिले हेतु अन्य समुदाय के विद्यार्थियों का समायोजन करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत कोटे की क्षतिपूर्ति के लिए निजी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों सहित प्रत्येक महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में सीटों में वृद्धि करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और (ख): जी, हां। अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत संविधान में शामिल किया गया है। यह राज्यों को भारत सरकार के सिविल पदों और सेवाओं एवं शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को वरीयता आधार पर आरक्षण का लाभ प्रदान करने में समर्थ बनाता है। संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम 2019 के अनुपालन हेतु और सामाजिक न्याय

और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 17.01.2019 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार उच्चतर शिक्षा विभाग और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने क्रमश: केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं और केन्द्रीय सरकार के पदों एवं सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए दिनांक 17.01.2019 और 19.01.2019 को आदेश जारी किए हैं।

(ग) और (घ): जी, नहीं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) को स्नातकोत्तर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस कोटा के लागू होने से प्रभावित विद्यार्थियों या विद्यार्थी समुदाय के माता पिता से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

(ड.) और (च): मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं (सीईआईएस) को दो वर्षों की अवधि में कुल सीटों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिये हैं, जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की आनुपातिक सीटों को बिना प्रतिकूल रूप से प्रभावित किये, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा सके। इस संबंध में 4315.15 करोड़ रू. की धनराशि 158 केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं में अतिरिक्त 2,14,766 सीटों (2019-20 के दौरान 1,18,983 अतिरिक्त सीटों और 2020-21 के दौरान 95,783 अतिरिक्त सीटों) के सृजन हेतु संस्वीकृत की गई हैं।

*****